अधिसूचना सं0 16/2014-सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2012-सीमाशुल्क, तारीख 9 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 129 (अ), तारीख 9 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, शर्त (v) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् : --

“परंतु गोलाकार हीरक के लिए व्यास में ± 0.05 मि.मी. और अन्य आकार के हीरकों के लिए लंबाई और चौड़ाई में ± 0.07 से अनधिक अन्तर तथा भार में ± 1 सेंट से अनधिक अंतर अनुज्ञात होगा”;

[फा.सं0 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 9/2012- सीमाशुल्क, तारीख 9 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 129 (अ) तारीख 9 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 11/2013-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2013 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 134(अ) तारीख 1 मार्च, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।